

तथा भी पक्ष-द्वारा के शर्तों का पालन करना
उक्त पत्रावली में संज्ञा है कि 11/2/2023 को

10-01-2023

आज पत्रावली का पत्रावली के प्राथमिक पर पत्रावली के
पत्रावली द्वारा अपना दावा विज्ञापित करवाया जा चुका
है। प्राथमिक पत्र भी दावा का आज होगा है। यदि
दावा विज्ञापित करवाया जा चुका है अतः प्राथमिक पत्र
212 R.T. Act की इसी धारा पर निरस्त (समाप्त)
किया जाता है। पत्रावली के संख्या होकर नंबर
से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

सप्लाइ अधिकारी

मि-लो न

मि लक्ष्मी

मि लक्ष्मी

रव

सप्लाइ अधिकारी
कोषी (वीलु) रव